



ग्रंज - ८५०० - प्र०१६

नितिन कुमार आत्मज दामोदर प्रसाद चौधरी उम्र करीब 24 साल  
निवासी ग्राम सनखेड़ा तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद .....आवेदक

### विरुद्ध

श्रीमति राजो बाई उर्फ रजिया बाई उम्र 60 साल विधवा मिश्रीसिंह (मृत) वारसान

1. श्रीमति सुखिया बाई पलि विशाल सिंह

निवासी बेरेली जिला रायसेन

2. श्रीमति छुट्टनबाई पलि लल्लूसिंह

साकिन पचमढी रोड पिपरिया जिला होशंगाबाद

3. राजेश उर्फ विजेन्द्र सिंह आत्मज मिश्रीसिंह

साकिन शाठ बालक उच्चतर माठ विधालय के सामने इटारसी जिला होशंगाबाद

4. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर होशंगाबाद .....उत्तरवादीगण

### निगरानी याचिका धारा 42 मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत

आवेदक यह निगरानी याचिका श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/निगरानी/2008-09 नितिन चौधरी वि० श्रीमति राजो बाई वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.12.2013 जो कि अपर कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा राजस्व सीलिंग प्रकरण क्रमांक 13 मद अ/90 व (3) वर्ष 90-91 नितिन कुमार विरुद्ध शासन में पारित आदेश दिनांक 19.07.06 एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी इटारसी द्वारा राठप्र०क० 24 मद अ/90 व (3) वर्ष 83-84 शासन विरुद्ध मिश्रीलाल में पारित आदेश दिनांक 22.04.89 से उत्पन्न हुआ के विरुद्ध असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधार एवं कारणों पर प्रस्तुत करता है।

### प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

ग्राम सनखेड़ा तहसील इटारसी की भूमि खसरा नंबर 30 रकवा 1.53 एकड़ खसरा नंबर 32/1 रकवा 8.21 एकड़ एवं खसरा नंबर 32/3 रकवा 0.55 एकड़ भूमि अशोक कुमार अग्रवाल ने मिश्रीसिंह से खरीदी थी। उक्त भूमि आवेदक नितिन कुमार ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.02.84 एवं दिनांक 02.09.85 के माध्यम से अशोक कुमार से क्य कर कब्जा प्राप्त किया। इस भूमि में से खसरा नंबर 30 खसरा नंबर 32/3 एवं खसरा

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**  
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 8500—पीबीआर / 16

जिला होशंगाबाद

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
 आदि के हस्ताक्षर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	जिला होशंगाबाद पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-03-2016	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आयुक्त के आदेश दिनांक 26-2-13 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। म0प्र0 कृषि जोत खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 42 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। आयुक्त द्वारा निगरानी में पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान नहीं है। अतः यह निगरानी विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>(मनाज गोयल)</p> <p>अध्यक्ष</p>